संख्या–1/3/96–का–4–2007

प्रेषक,

जे.एस. दीपक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग–4

लखनऊ : दिनांक : 12 फरवरी, 2008

विषयः– सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 26 नवम्बर, 2007 के द्वारा यह निर्देश निर्गत किये गये थे कि शासनादेश दिनांक 14.9.2007 के प्राविधानों के विपरीत जिन अधिकारियों / कर्मचारियों को अन्य पदों / कार्यालयों से सम्बद्ध किया गया है, की सम्बद्धता तत्काल समाप्त कर दी जाय तथा जिन अधिकारियों द्वारा सम्बद्धता की कार्यवाही की गयी है, का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए, उनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित कर, एक सप्ताह में अवगत कराया जाय ।

2. विभिन्न स्रोतों से किये गये अनुरोध के दृष्टिगत, सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ हैः–

(1) प्रोन्नति, सेवा निवृत्ति अथवा किसी अन्य कारण से घटित होने वाली रिक्ति के विरूद्ध नियमित तैनाती न हो पाने, किसी कार्यालय विशेष में कार्य की अधिकता होने अथवा किसी अधिकारी/ कर्मचारी की किसी विशिष्ट परिस्थिति के दृष्टिगत अपरिहार्य परिस्थिति में सीमित अवधि के लिए ही, उसको किसी अन्य विभाग / कार्यालय में सम्बद्ध करने पर विचार किया जाय ।

(2) उक्त प्रस्तर–2(1) में वर्णित अपरिहार्य परिस्थितियों में अधिकारियों / कर्मचारियों की सम्बद्धता स्पष्ट कारणों सहित की जाय तथा आदेश निर्गत करने के उपरान्त संबंधित विभाग द्वारा दो सप्ताह के अन्दर मा. मुख्य मंत्री जी का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जाय ।

3. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

12/2/08

(जे.एस.दीपक)
प्रमुख सचिव

संख्या–1/3/96(1)–का–4–2007,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल जी ।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी ।
3. निजी सचिव, मा.मंत्रिगण ।
4. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मंत्रिमण्डलीय सचिव/ मुख्य सचिव ।
5. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश ।
6. प्रमुख सचिव, विधान परिषद / विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।
7. विशेष कार्याधिकारी, सूचना, मा. मुख्य मंत्री जी ।
8. समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
9. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
10. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

(बी.एन.दीक्षित)
सचिव